न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 134 / 17
निर्णय दिनांक : 13.06.2018

1. हरीराम पुत्र गंगासहाय जाति ब्राहमण नि0 ब्राहमणों की ढाणी ग्राम आला का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्ती रिकोर्ड

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ग्रामीण एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो काश्त कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। राजस्व ग्राम आला का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर में कृषि भूमि गत खं0नं0 137 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा पड़त बारानी अव्वल, खं0नं0 138 रकबा 2 विस्वा पड़त बारानी अव्वल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 19 विस्वा भूमि प्रार्थी के पिता गंगाबक्श पुत्र दूला की खातेदारी में मिसल बंदोबस्त संवत् 1988 मे दर्ज व अंकित थी। उक्त भूमि की गत जमाबन्दी अनुसार संवत् 1988 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म मिसल बन्दोबस्त अनुसार दर्ज व अंकित की गई जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज व अंकित रही है उक्त खसरा नम्बरान में से गत खं0नं0 137 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा पड़त बारानी अव्वल, खं0नं0 138 ,रकबा 2 विस्वा पड़त बारानी अव्वल के भू–प्रबंध के कामगारों द्वारा हाल खं0नं0 201 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा की किस्म लिपिकीय त्रुटि व भूलवंश गै0मु0 चाह दर्ज कर दी जबकि उक्त गत खसरा नम्बरान की भूमि की किस्म पड़त बारानी अव्वल दर्ज थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के हाल खं0नं0 201 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा बनाये जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये गये है। हाल खं0न0 201 के आसपास एवं मौके पर किसी प्रकार का कोई चाह स्थित नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बरान के गत खसरा नम्बर की किस्म पूर्व में गै0मु0 चाह दर्ज नहीं थी भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की किस्म गै0मु0 चाह दर्ज की गई है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। भू प्रबन्ध कर्मचारियो द्वारा भूलवंश एवं लिपिकीय त्रुटि के कारण खातेदारी भूमि पड़त बारानी अव्वल से गैर मुमकिन चाह अंकन कर दिया, जबकि भूमि की किस्म इस प्रकार से परिवर्तित नहीं की जा सकती है प्रार्थी अपने

ड अधिकारी
मर लेक

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकारों का पूर्व की भांति उपयोग उपभोग करता आ रहा है उपरोक्त भूमि की किस्म भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा गैर मुमकिन चाह लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज की है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है उक्त दुरूस्त करने में अन्य किसी का कोई हित प्रभावित नहीं होता है इस कारण इसमें किसी अन्य को कोई आपति नहीं है इस कारण इसमें किसी अन्य को कोई आपति नहीं है इसलिए धारा 136 एल0आर0ऐ0 के प्रावधानों के तहत यह प्रा0पत्र पेश किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि खं0नं0 137 व 136 का वर्तमान खं0नं0 201 बना है जो प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज था उक्त संवत् 1988 में उक्त खं0नं0 की किस्म बारानी अव्वल दर्ज थी जो प्रार्थी के पिता के द्वारा काश्त के काम में आ रही थी सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा संवत् 2011 से 2029 में इनका नवीन खं0नं0 201 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा दर्ज कर दिया जबकि वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर कोई चाह बना हुआ नहीं है तथा न ही कोई रास्ता चालू है तथा पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में न्यायालय हाजा में पेश हुयी। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थी का प्रा0पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम आला का बास प0क्षे0 जोरपुरा सुन्दरियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 के हाल खं0नं0 201 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा की किस्म पूर्व राजस्व रिकोर्ड के अनुसार गत खं0नं0 137 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा पड़त बारानी अव्वल, खं0नं0 138 रकबा 2 विस्वा पड़त बारानी अव्वल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner